शं नो वरुणः

ADVISORY FOR VEERNARIS/
वीर नारियों के लिए सलाह

1. Naval Regimental System has been established zone-wise at six places in the Navy, essentially to look after the well-being of the Naval widows. The offices of the North and Central zones comprising states of J&K, HP, Punjab, Haryana, Delhi/NCR, UP, UK, MP and Rajasthan are located at Delhi.

नौसेना विधवाओं की अनिवार्य रुप से मदद करने के लिए नौसेना में क्षेत्र के लिहाज से छः स्थानों पर नौसेना रेजिमेंटल सिस्टम की स्थापना की गई है। जम्मू–कश्मीर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली – एनसीआर, उत्तराखण्ड, मध्यप्रदेश और राजस्थान सहित उत्तर और मध्य जोन के कार्यालय दिल्ली में स्थित है।

2. Inform the DESA/CRSO/Zila Sainik Board /Navy Foundation Charter/PDA/ DPDO regarding death of your husband/ अपने पति की मृत्यु की जानकारी DESA / CRSO / जिला सैनिक बोर्ड / नेवी फाउंडेशन चार्टर / PDA / DPDO को सूचित करें।

3. Maintain a file comprising following documents/ निम्नलिखित दस्तावेजों से युक्त एक फाइल को बनाए रखें:–

(a) Original PPO, Discharge certificate and Service certificate of the husband/ मूल पीपीओ, पति का निर्वहन डिस्चार्ज प्रमाण पत्र और सेवाप्रमाणपत्र।

(b) In case name of Veer Nari or the dependents does not appear in the PPO apply for Corrigendum PPO from NAVPEN (CABS)/DPA/ यदि वीर नारीयों आश्रितों के नाम पीपीओ मेंप्रकट नहीं होते तोNAVPEN (CABS) / DPA से शुद्धि पत्र पीपीओ Corrigendum PPO) के लिए आवेदन करें।

(c) Obtain 15 to 20 copies of death certificate of the husband from the respective Municipal Corporation/संबंधित नगर निगम से पति की मृत्यु प्रमाणपत्र की 15 से 20 प्रतियां प्राप्त करें।

4. Apply for Family Pension informing the PDA (Bank disbursing pension) regarding death of the husband. Submit original death certificate and the address proof. Fill up and submit Annexure 4 issued by PDA for inclusion of dependents name for family pension if eligible.

पति की मृत्यु के बारे में पी डीए (जिसबैंकसेपेंशनमिलतीहै) को सूचित करके परिवार पेंशन के लिए आवेदन करें। मूल मृत्यु प्रमाणपत्र और पता प्रमाण प्रस्तुत करें। यदि पात्र हों तो परिवार पेंशन के लिए आश्रितों के नाम शामिल करने के लिए पीडीए द्वारा जारी संलग्नक 4 भरेंऔरजमाकरें।

5. Apply for Widow's I-Card from the respective Zila Sainik Board. Submit the following along with the application/ संबंधित जिला सैनिक बोर्ड से विधवा के आई–कार्ड के लिए आवेदन करें। आवेदन के साथ निम्नलिखित जमा करें:–

(a) Three passport size self-photograph/पासपोर्ट आकार के तीन स्व–फोटो।

(b) Address proof/ पता प्रमाणपत्र

(c) Copy of the PPO reflecting your name as spouse of the deceased person/मृत व्यक्ति की पत्नी के रुप में आपके नाम को दर्शाने वाले पीपीओ की प्रति।

(d) Copy of the Death Certificate issued by the Municipal Corporation for widows/विधवा के लिए नगर निगम द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति

6. Apply for dependents I-Card to the nearest depot ship. Forms will be available from the depot ship (Zila Sainik Board can also issue dependant cards). आश्रितों के लिए आई–कार्ड के लिए निकटतम डिपो पोत पर आवेदन करें। डिपो पोत से प्रपत्र प्राप्त किए जा सकते है। (आई कार्ड जिला सैनिक बोर्ड भी जारी कर सकता है)।

7. Inform the registered ECHS Policlinic regarding death of your husband. Apply to Director ECHS for change in ECHS card. The forms can be downloaded from www.echs.gov.in./अपने पति की मृत्यु के संबंध में पंजीकृत ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक को सूचित करें। ईसीएचएस कार्ड में परिवर्तन के लिए निदेशक ईसीएचएस पर आवेदन करें। फॉर्म **www.echs.gov.in** से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। Correspondence address of Director ECHS is mentioned below/ निदेशक ईसीएचएस को पत्राचार का पता नीचे उल्लिखित है:– The Director/ निर्देशक ECHS, 6th floor, Chankaya Bhawan, Chankyapuri/ ECHS, 6 मंजिल, चाणक्यभवन, चाणक्यपुरी New Delhi/ नई दिल्ली110021 Tele: 011-24101319/24676168 WhatsApp No. 9650693980

8. Apply for death grant to CRSO/PDNPF with the following documents/निम्नलिखित दस्ता वेजों के साथ CRSO / PDNPF को मृत्यु अनुदान के लिए आवेदन करें:–

(a) Form 17 (can be downloaded from www.indiannavy.gov.in/INBA/ फॉर्म 17(www.indiannavy.gov.in/INBA से डाउनलोड किया जा सकता है)

(b) Copy of PPO indicating your name as spouse /पत्नी के रुप में आपके नाम को दर्शाने वाले पीपीओ की प्रति।

(c) Copy of Death Certificate/ मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति

(d) Copy of Discharge certificate/ डिस्चार्ज प्रमाणपत्र की प्रति

(e) A Cancelled cheque leaf/रद्द किए गए चेक की एक प्रति

(f) Pre-receipt/पूर्व रसीद

9. Submit an application to CRSO/PDNPF for release of insurance benefits for PRDIES it eligible along with the following documents/ पात्र होने पर PRDIES के लिए बीमा लाभ जारी करने के लिए CRSO/PDNPF को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करें–

(a) Copy of PPO indicating your name as spouse/ पत्नी के रुप में आपके नाम को दर्शाने वाले पी पी ओ की प्रति

(b) Copy of Death Certificate/ मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति

(c) Copy of Discharge certificate/डिस्चार्ज प्रमाणपत्र की प्रति

(d) Cancelled cheque leaf/रद्द चेक की एवं प्रति

(e) Pre-receipt/पूर्व रसीद

(f) PRDIES Certificate/ PRDIES प्रमाणपत्र

(g) Affidavit in prescribed format as mentioned in PRDIES certificate/निर्धारित प्रारुप में शपथ पत्र जो **PRDIES** प्रमाणपत्र मे दिए अनुसार बिहित प्रारुप में एफीडेविट

10. Maintain contact with nearest Naval establishment, other retired Naval Personnel and regularly browse the Indian Navy, DESA (Directorate of Ex-Servicemen Affairs)/NWWA website so as to be regularly updated regarding changes in regulations/benefit schemes.

निकटतम नौसेना स्थापना, अन्य सेवानिवृत्त नौसेना कर्मियो के साथ संपर्क बनाए रखें और भारतीय नौसेना DESA (भूतपर्व सैनिक मामलों के निदेशालय) /NWWA वेबसाइट को नियमित रुप से देखें ताकि नियमों लाभ योजनाओं में बदलाव संबंधो अद्यतन जानकारी आपको मिलती रहे।

Grants/Financial Schemes Available to Veernaris/Dependants / वीरनारियो /आश्रितों के उपलब्ध अनुदान और वित्तीय योजनाएं

11. Merit Scholarship /मेरिट स्कॉलरशिप:-

Merit Scholarship at the rate of Rs. 30,000/- per annum admissible for first two children only for pursing post 10+2 graduation/Post Graduation Courses or recognized post 10+2 Vocational Courses of 52 weeks or more duration. Scholarship can be claimed for maximum 05 times without break.

10+2N के बाद स्नातक, स्नातकोत्तर कोर्स या 10+2 के बाद 52 सप्ताह अथवा इससे अधिक के लिए किसी मान्यता प्राप्त व्यावसनिक कोर्स करने हेतु प्रथम दो बच्चों को मेधा छात्रवृत्ति (मेरिट स्कालरशिप) के रुप में 30,000 रुपये हर वर्ष दिए जायेगें। इस छात्रवृत्ति का दावा लगातार अधिकतम 05 वर्ष के लिए किया जा सकता है।

12. Special Scholarship Scheme (SSS)/ विशेष छात्र वृत्ति योजना (SSS) :-

Under this scheme scholarship is provided to children of Naval Personnel died whist in service (also applicable to orphaned children). Apply in prescribed form with original receipts/bills duly countersigned by the Principal. The scheme provided re-imbursement of actual expenditure on education subject to the upper ceiling as detailed below:-

विशेष छात्रवृत्ति योजनाए (SSS)

इस योजना के अन्तर्गत सेवा के दौरान मारे गए (अनाथ बच्चों के लिए भी लागू) नौसेना कर्मियों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान को जाती है। प्रिंसिपल द्वारा प्रति–हस्ताक्षरित मूल रसीदों। बिलों के सान विहित फॉर्म मे आवेदन करें। इस योजना के अंतर्गत शिक्षा पर किए गए वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति नीचे दी गई ऊपरी सीमा को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

Academic Courses/ शैक्षणिक कोर्स		*Professional Courses/ व्यवसयिक कोर्स*	
Class/ कक्षा	***Scholarship (per annum)/*** *छात्रवृत्ति (प्रतिवर्ष)*	*Course/ कोर्स*	***Scholarship (per annum)/*** *छात्रवृत्ति (प्रतिवर्ष)*
Nursery to KG नर्सरी से के.जी	Rs. 10000/-	Engg./Medical इंजीनियरी / मेडिकल	Rs. 75000/-
Class I to VIII कक्षा एक से आठ तक	Rs. 20000/-	Computer/Management कंप्यूटर प्रबंधक	Rs. 50000/-
Class IX to XII कक्षा नौवी से बारहवीं तक	Rs. 30000/-	Legal/Vocational Studies कानूनी / कानूनी / व्यावसायिक अध्ययन	Rs. 40000/-
Graduation स्नातक	Rs. 30000/-	Graduation स्नातकोत्तर	Rs. 30000/-
Post-Graduation स्नातकोत्तर	Rs. 30000/-	Boarding/Lodging बोर्डिंग / लॉजिंग	Rs. 50000/-

13. Scholarship for Special/Disabled Children/ विशेष / दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्तिः–
Scholarship of Rs. 5000/- per Month is provided for education of their special/disabled children of Veernaris/retired naval personnel.

वीरनारियों / सेवानिवृत्त नौसेनिकों को उनके विशेष / दिव्यांग बच्चों की शिक्षा कि लिए प्रतिमाह 5000 / – रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

14. Assistance for Self-Employment/ स्व–रोजगार के लिए सहायताः– Financial Assistance up to Rs. 1,00,000/- is provided to Veer naris who are facing acute financial distress and are in indigent circumstances for starting self-help economic venture so as to enable the Veernaris to earn their lively hood with dignity.
वित्तीय सहायता के रुप में 1,00,000/-

गंभीर अर्निव संकट और गरीबी का सामना कर रही वीरनारियाँ जो स्व. सहायता आर्थिक उदम से तक हेल्प इकोनॉमिक वेनचर) शुरु करने के लिए तैयार है को सम्मान के खान जीविका कमाने के लिए सक्षम बनाने हेतु 1,00,000 रुपये की अर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

15. Lump Sum Grant on Death/मृत्यु पर एकमुश्त अनुदानः–
The lump sum grant-in-aid of Rs 30,000/-(Rupees Thirty Thousand Only) is admissible to Next-of-Kin on death of a Naval pensioner (Officers and Sailors)/ एक नौसेना पेंशनर (अफसरों और नौसेनिकों की मृत्यु पर उनके निकटतम संबंघो को 30,000 / – रुपये का एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाता है।

16. Re-imbursement of Fee towards Vocational Courss for widows/
विधवाओं को व्यावसायिक कोर्सों के लिए फीस की प्रतिपूर्ति

Widows of Naval personal who dies whilst in service are reimbursed fees up to Rs.50,000/- as one time measure to adequately empower them to earn their livelihood with dignity

सेवा के दौरान मारे गए नौसेनिकों की विधवाओं के लिए 50,000 / – रुपये तक की फीस की प्रतिपूर्ति एक बारगी की जाती है ताकि वे सम्मान के साथ अपनी जीविका चलाने के लिए पर्याप्त रुप से सभक्त बन सकें।

17. Grant to Widows for daughter's Marriage बेटी की शादी के लिए विधवाओं के अनुदानः–
Widows of Naval Pensioners are given grant for of Rs. 50000/- (Fifty Thousand only) per daughter marriage of their first two daughters only/

नौसेना पेंशनरों की विधवाओ को उनकी पहली दो बेटियों की शादी के लिए प्रत्येक बेटी 50,000 / – (पचास हजार रुपये मात्र) का अनुदान दिया जाता है।

18. Tipper Truck Scheme for Veernaris/ वीरनारियों के लिए टिपर ट्रक योजनाए– This Scheme managed by Director General Resettlement (DGR) is available to all Naval Widows only once in a life time. Desirous widows of defence service personnel may apply to the Director (Self Employment) on take prescribed form available at DGR office. The agreement is signed by the individual by depositing Rs. 1 Lakh (DD) with the company. The Veernari will be paid Rs.3000/- pm as fixed amount every month. The first payment will be made after 60 days of the agreement. After 5 years the transport company refunds the money i.e. Rs.1 Lakh to the Veernari.

महानिदेशालय पुनर्वास (डीजीआर) के प्रबंधक में यह योजना सभी वीरनारियों के जीवनकाल में केवल एक बार के लिए उपलब्ध होती है रक्षा सेवा कार्मिक कह इच्छुक विधवाए डीजीआर कार्यालय में उपलब्ध निर्धारित फॉर्म में निदेशक (स्व रोजकार) को इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। इस योजना के अंतर्गत वीरनारी को अनुबंध के रुप में कंपनी के पास 01 लाख रुपये का (डिडी जमा करना होगा। वीरनारी को हर महीने निर्धारित राशि के रुप में 3000 / – रुपये का भुगतान किया जाता है पहला पहला भुगतान अनुबंध के 60 दिनों के बाद किया जाता है। 05 साल के बाद ट्रासपोर्ट के वीरनारी को उसकी 1 लाख रुपये की जमा राशि वापस कर देती है।

19. Reimbursement of 33% Fee/ 33% फीस की प्रति पूर्तिः
Veernaris and ESM whose wards secure admission for graduation courses in IITs/NITs/IIS (Bangaluru)/ ISM(Dhanbad) and MBBS can be reimbursed 33% of the total coaching Fee.
वीरनारियो और ईएसएम जिनको संतान IITs / NITs / IIS (बैंगलुरु) / ISM (धनबाद) और MBBS में स्नातक कोर्सों में प्रवेश लेते हैं। उनको कुल कोचिंग फीस के 33% की प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

20. The following schemes/benefits are provided by the Kendriya Sainik Board/
निम्नलिखित योजनाएं / लाभ केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा प्रदान किए जाते हैं:–

Scheme/ योजना	Eligibility/ पात्रता	Amount/ रकम	Remarks/ टिप्पणियों
Penury Grant/ पेनरीग्रांट गरीबी अनुदान	- Non Pensioner/ गैर पेंशनर - PO and below/ पीओ और उसके नीचे - Over 65 years/ 65 वर्ष से अधिक	रु. Rs. 4,000/-pm प्रतिमाह	
Education Grant/ शिक्षा अनुदान	- Non Pensioner/ गैर पेंशनर - PO and below/ पीओ और उसके नीचे	Rs.1,000/-pm रु. 1000 / प्रतिमाह	- Upto 02 children/ 02 बच्चे तक - Children up to graduation/ स्नातक स्तर तक - Widows till PG/ पीजी तक की विधवाएं
Officer Cadet Grant/ अधिकारी कैडेट अनुदान		Rs.1,000/-pm	- NDA only/ एनडीए ही
Specail Children Grant/ स्पेशल चिल्ड्रेन ग्रांट		Rs.4,000/-pm	
Daughter Marriage/ बेटी की शादी		Rs.50,000/-	- Upto 02 Daughters/ 02 बेटियों के लिए
Widow Re-marriage/ विधवा पुनः विवाह		Rs.50,000/-	
Funeral Grant/ अंत्येष्टि अनुदान		Rs.5,000/-	
Medical Treatment/ चिकित्सा उपचार	पेंशनर / गैर पेंशनर (सभी रैंक)	Rs.30,000/-	- Self & Dependants/ स्वयं और आश्रित
Vocational Training/ व्यावसायिक प्रशिक्षण		Rs.20,000/-	- One time (widows only)/ एक बार (केवल विधवाएं)
Orphan Grant/ अनाथ अनुदान	Pensioner/Non Pensioner (all ranks)/	Rs.1,000/-pm	

21. Scholarship for Children of Widows of Retired Naval Personnel/ सेवानिवृत्त नौसेना कर्मियों की विधवाओं के बच्चों के लिए छात्रवृत्तिः –This is provided by NWWA for wards of personnel who die after retirement at the following rates/ यह NWWA द्वारा उन नौसेना कर्मियों के बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है जो सेवा निवृत्ति के बाद मर जाता है यह निम्नलिखित दरों पर प्रदान किया जाता है:–

Class/ कक्षा	*Scholarsship (per annum/ छात्रवृत्ति (प्रतिवर्ष)*
Class I to VIII/ कक्षा एक से आठ तक	Rs. 4,000/-
Class IX to XII/ कक्षा नवमीं से बारहवीं तक	Rs. 5,000/-
Graduation/ स्नातकस्तर की पढ़ाई	Rs. 10,000/-
Post-Graduation/ स्नातकोत्तर	Rs. 15,000/-
B Tech/MBBS/ बीटेक / एमबीबीएस	Rs. 20,000/-

22. Please feel free to contact whenever you need any clarification on your entitlements/
जब भी आपको अपने पात्रता संबंधी किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो कृपया बेझिझक संपर्क करें।

	Address	***Telephone/Fax***	***E-mail***
Command Regimental System Officer (North & Central Zone)/ कमांड रेजिमेंटल सिस्टम ऑफिसर (उत्तर और मध्य क्षेत्र)	Sahara Hostel/सहारा हॉस्टेल D-6 Vasant Kunj/ D-6 वसंतकुंज New Delhi/ नई दिल्ली –110070	Tele/टेली: 011–26135268/69 Fax/फैक्स : 011–261352668, 9650693980	crsonorth.navy@gmail.com
DESA	IHQ MOD (N)/ DESA 4th Floor/ 4मंजिल,Chanakya Bhawan/ चाणक्यभवन, Chankyapuri/चाणक्यपुरी, New Delhi/नई दिल्ली–110021	Tele/टेली: 011-24102305, 26881019 Fax/फैक्स: 011–26880943/1019 24121068	desa@navy.gov.in
NWWA	Secretary NWWA/ सचिव नवा IHQ MOD (N), A-Block Hutments New Delhi/नई दिल्ली–110001	Tele(टेली)/Fax(फैक्स) : 011– 23010980/23011307	varuninr@yahoo.co.in
DPA	IHQ MOD (N)/ DPA 1ST Floor/1st फ्लोर, Annexe Buildng/एनेक्सी बिल्डिंग, Talkatora/तालकटोरा Stadium/स्टेडियम, New Delhi/ नई दिल्ली–110001	Tele(टेली)/Fax(फैक्स) : 011–21410538/ 42/43/49	indiannavy.gov.in
INBA/PDNPF	IHQ MOD (N) PDNPF Room No. 13/ कमरा नंबर 13, Ground Floor/ एनेक्सी बिल्डिंग, Talkatora/ तालकटोरा	Tele(टेली) : 011–21410785, 9315796161 Fax/फैक्स:21410785	dnpf@navy.gov.in
ECHS	IHQ MOD (N)/ DESA 6th Floor/ 6मंजिल,Chanakya Bhawan/ चाणक्यभवन, Chankyapuri/चाणक्यपुरी, New Delhi/नई दिल्ली–110021	Tele/टेली: 011-24101319,	echsdelhi@navy.gov.in